



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2956]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 15, 2016/अग्रहायण 24, 1938

No. 2956]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 15, 2016/AGRAHAYANA 24, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4048(अ).—यतः दिल्ली मुख्य योजना-2021 में केन्द्र सरकार का अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26.09.2013 की का.आ. 2918(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों / सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

संशोधन:

जोन-‘एफ’ में महिपालपुर गाँव में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 को महरौली महिपालपुर रोड से जोड़ने वाले 30 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क के साथ स्थित पॉकेट-7 के भूमि उपयोग में निम्नलिखित सीमा विवरण सहित परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है:-

क्र.सं.	अवस्थिति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	भूमि उपयोग (दि.मु.यो. 2021)	भूमि उपयोग जिसमें परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	महिपालपुर गाँव से सटी हुई भूमि	0.383	सरकारी भूमि (उपयोग अनिर्धारित)	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	उत्तर:बी.पी.आर. एवं डी. भूमि दक्षिण: हरी पट्टी पूर्व: 30 मीटर सड़क पश्चिम: एस.एस.बी. भूमि
2.	महिपालपुर गाँव से सटी हुई भूमि	0.51	सरकारी भूमि (उपयोग अनिर्धारित)	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	उत्तर:डिफेंस भूमि दक्षिण: 30 मीटर सड़क पूर्व: सी.आई.एस.एफ. भूमि पश्चिम: प्रस्तावित आवासीय भूमि
3.	महिपालपुर गाँव से सटी हुई भूमि	0.55	सरकारी भूमि (उपयोग अनिर्धारित)	व्यावसायिक	उत्तर:7.2 मी. विद्यमान सड़क दक्षिण: हरित पट्टी रा.रा.- 8 पूर्व: महिपालपुर गाँव पश्चिम: 30 मीटर सड़क
4.	महिपालपुर गाँव से सटी हुई भूमि	1.27	सरकारी भूमि (उपयोग अनिर्धारित)	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	उत्तर:प्रस्तावित सामुदायिक हॉल दक्षिण: महिपालपुर गाँव पूर्व: अतिक्रमण (अनधिकृत कॉलोनी) पश्चिम: प्रस्तावित भूमिगत जलाशय
5.	महिपालपुर गाँव से सटी हुई भूमि	1.08	सरकारी भूमि (उपयोग अनिर्धारित)	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	उत्तर:30 मीटर सड़क दक्षिण: 7.2 मीटर सड़क पूर्व: प्रस्तावित 4.5 मीटर सड़क पश्चिम: 30 मीटर सड़क
6.	महिपालपुर गाँव से सटी हुई भूमि	0.11	सरकारी भूमि (उपयोग अनिर्धारित)	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	उत्तर:प्रस्तावित अस्पताल दक्षिण: प्रस्तावित हरित पूर्व: 30 मीटर सड़क पश्चिम: महिपालपुर गाँव

[फा. सं. के-13011/26/2013-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2016

S.O. 4048(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 2918(E) dated 26.09.2013 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modification have been considered by the Delhi Development Authority and

3. Whereas, the Central Government, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan of Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The change of land use of 7 pockets located along 30m road R/W connecting NH-8 to Mehrauli Mahipalpur Road at Mahipalpur Village in Zone-‘F’ has been proposed with the following boundary description:-

S. No.	Location	Area (Ha)	Land Use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Land adjacent to Mahipalpur village	0.383	Government Land (Use undetermined)	Public & Semi Public	North : BPR &D Land South: Green Buffer East: 30 M Road West: SSB Land
2.	Land adjacent to Mahipalpur village	0.51	Government Land (Use undetermined)	Public & Semi Public	North : Defence Land South: 30 M Road East: CISF Land West: Proposed Residential
3	Land adjacent to Mahipalpur village	0.55	Government Land (Use undetermined)	Commercial	North: 7.2m Existing Road South: Green Buffer NH-8 East: Mahipalpur Village West: 30 M Road
4	Land adjacent to Mahipalpur village	1.27	Government Land (Use undetermined)	Public & Semi Public	North : Proposed Community Hall South: Mahipalpur village East: Encroachment (unauthorised colony) West: Proposed Underground Reservoir
5	Land adjacent to Mahipalpur village	1.08	Government Land (Use undetermined)	Public & Semi Public	North : 30 M Road South: 7.2 M Road East: Proposed 4.5 M Road West: 30 M Road
6	Land adjacent to Mahipalpur village	0.11	Government Land (Use undetermined)	Public & Semi Public	North : Proposed Hospital South: Proposed Green East: 30 M Road West: Mahipalpur village

[F. No. K-13011/26/2013-DD.I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.